भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
(प्रसारण एवं केबल विभाग)

आदेश

दिनांकः 20 सितम्बर 2021

विषयः दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसिबल प्रणालियां) विनियम, 2017 के विनियम 4क के उप-विनियम (1) के अंतर्गत कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के लिए परीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसी का मनोनयन।

संख्या आर.जी-1/2/(3)/2021- बी एण्ड सी एस (2)- जबकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, अधिनियम , 1997 (1997 का 24) (जिसे , इसके आगे "भादूविप्रा अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे यहां पर "प्राधिकरण" कहा गया है) को अन्य विषयों के साथ साथ दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के मापदण्डों को निर्धारित करने और सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा का आवधिक सर्वे करने के लिए कुछ कार्य सौंपे गए हैं ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।

2. और जबकि, सूचना एवं संचार प्रोद्यिगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) में केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या 39 के माध्यम से ....

(क) जिसे भादूविप्रा अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (के) के नियम के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है, और

(ख) जो भारत का गजट, विशेष, भाग 2, अनुच्छेद 3-उप अनुच्छेद (2) में अधिसूचना संख्या एस.ओ. 44 (ई) *दिनांक 9 जनवरी 2004 के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है ...*

प्रसारण सेवाओं और केबल सेवाओं को दूरसंचार सेवा के रूप में अधिसूचित किया है;

3. और जबकि प्राधिकरण ने एड्रेसिबल प्रणालियों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली प्रसारण और केबल टी.वी. सेवा के लिए नई नियामक रूप रेखा को अधिसूचित किया जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(ए) *दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसिबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017 दिनांक 3 मार्च 2017;*

(बी) *दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं* अंतःसंयोजन *(एड्रेसिबल प्रणालियां) विनियम, 2017 दिनांक 3 मार्च, 2017 (इसके बाद* अंतःसंयोजन *विनियम, 2017 के रूप में संदर्भित); और*

(सी) *दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं-सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसिबल सिस्टम) विनियम, 2017 दिनांक 3 मार्च 2017*

4. और जबकि प्राधिकरण ने 11 जून 2021 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसिबल प्रणालियां) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 अधिसूचित किया है और अंतःसंयोजन विनियम, 2017 में नया विनियम 4 क और अनुसूची IX को समाविष्ट किया है।

5. और जबकि नया शामिल किया गया विनियम 4क का उप-विनियम (1) अन्य विषयों के साथ साथ प्रावधान करता है कि टेलीविजन चैनल का प्रत्येक वितरक प्राधिकरण के आदेश द्वारा निर्धारित तिथि से और परीक्षण एवं प्रमाणन के बाद इस प्रकार के कंडिशनल एक्सेस सिस्टम और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करेगा जो अनुसूची IX में निर्धारित आवश्यकताओं की अनुपालना में होगा।

6. इसलिए अब प्राधिकरण दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसिबल प्रणालियां) विनियम, 2017 के विनियम 4क के उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार को परीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसी के रूप में मनोनित करता है, जो: -

(ए) अंतःसंयोजन विनियमावली 2017 के अनुसूची IX में निर्धारित कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) की परीक्षण और प्रमाणन का प्रशासन, समन्वय और कार्यान्वयन करेगा।

(बी) अनुसूची IX के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं के संबंध में परीक्षण अनुसूचियां एवं परीक्षण प्रक्रियाएं (टीएसटीपी) को अधिसूचित और रखरखाव करेगा।

(सी) अधिकृत परीक्षण प्रयोगशालाओं की सूची को तैयार/घोषित करेगा जो परिभाषित अनुसूचियों और परीक्षण प्रक्रियाओं (टीएसटीपी) के अनुसार परीक्षण के लिए आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

(डी) अधिकृत परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा जांचे गए और प्रमाणित सभी उत्पादों के लिए प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा और

(ई) भारत में तैनात कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के संस्करण और तैनाती का रखरखाव करेगा।

(वी. रघुनंदन)
सचिव, भाद्रूविप्रा

प्रेषित :

1. दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र (टीईसी), दूरसंचार विभाग
2. सभी हितधारक

अस्वीकरण : यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति मान्य होगी ।